

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग-2
संख्या: 184 / नौ-2-16-21 सा / 16
लखनऊ दिनांक 19 फरवरी, 2016

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-2 सन 1916) की धारा-9 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) के अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए मा0 राज्यपाल महोदय स्तम्भ-2 में उल्लिखित व्यक्तियों को उनके सम्मुख स्तम्भ-4 में उल्लिखित नगर पालिका परिषद में नाम निर्दिष्ट सदस्यों के रूप में नामित करते हैं :-

क्र० सं०	नाम	पता	नगर पालिका परिषद / जनपद
1	2	3	4
1.	डॉ० जमीर खॉ पुत्र श्री भोले खॉ	मौ० धैर पीपलवाला	रामपुर / रामपुर
2.	श्री राजेन्द्र सिंह बब्बर	गुरुद्वारा रोड, सिविल लाईन।	रामपुर / रामपुर
3.	श्री संजीव गुप्ता पुत्र श्री रामबाबू गुप्ता	पीपल टोला	रामपुर / रामपुर
4	श्री यूसुफ खॉ भयये पुत्र स्व० लड्डन खॉ	धैर कटेबाज खॉ	रामपुर / रामपुर
5.	श्रीमती नेहा राज पत्नी श्री विक्की राज	मोहल्ला अस्तबल, शूतरखाना	रामपुर / रामपुर

श्रीप्रकाश सिंह
सचिव

संख्या 184 (1) / नौ-2-16-21 सा / 16, तददिनांक।


संयुक्त निदेशक (प्रभारी), राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया अधिसूचना को असाधारण गजट विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड-ख में दिनांक 19 फरवरी, 2016 को प्रकाशित कराकर उसकी 100 मुद्रित प्रतियाँ नगर विकास अनुभाग-2 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,
(सुधीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, उ०प्र०, लखनऊ।
2. आयुक्त, मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद।
3. जिलाधिकारी, रामपुर।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ०प्र०, लखनऊ।
5. अध्यक्ष / अधिशासी अधिकारी / नामित सदस्य, नगर पालिका परिषद, रामपुर
(द्वारा जिलाधिकारी, रामपुर)
6. गार्ड फाईल / कम्प्यूटर सेल


(सुधीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव